समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला नजारत प्रशाखा)

निविदा संख्या–02/2012

जिला अतिथि गृह, पूर्णियाँ के संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 7751, दिनांक 10.08.2010 के आलोक में जिला अतिथिगृह, पूर्णियाँ का संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराने हेतु दिनांक 17.08.2012 को 2.00 बजे अपराह्न तक इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान से दो अलग–अलग लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है जो उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न में क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता/उसके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

कार्य का प्रकार :–

1. आंतरिक साफ–सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों एवं पूरे परिसर की सफाई।
2. जिला अतिथि गृह के लॉन, बगीचा आदि की सफाई, बागीचा में फूल–पौधे घास आदि का रख–रखाव।
3. हाउस कीपिंग से संबंधित निम्नांकित कार्य।
   (क) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युतीय उपकरणों का रख–रखाव।
   (ख) फर्नीचर आदि का रख–रखाव एवं मरम्मति।
   (ग) अतिथि गृह में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा साबुन, तेल, शैम्पु, तौलिया आदि की आपूर्ति।
   (घ) आवश्यकतानुसार बेडसीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया इत्यादि की आपूर्ति एवं इसकी सफाई/धुलाई।
4. निर्बाध विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर सहित)।
5. अतिथि को निर्धारित दर पर चाय, नास्ता एवं भोजन की आपूर्त्ति करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।

निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में देना होगा।
2. तकनीकी लिफाफा में व्यक्ति/संस्था का नाम, पता, अनुभव प्रमाण पत्र (कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र), अद्यतन आयकर रिटर्न, टर्न ओवर, जमानत की राशि आदि दाखिल करना होगा।
3. दूसरे लिफाफा में उपरोक्त सेवा देने के लिए न्यूनतम दर अलग–अलग अंकित करना होगा।
4. निविदादाता को निविदा के साथ 10,000.00 (दस हजार) रूपये जमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नाजिर रसीद के माध्यम से जमा करना होगा।
5. अतिथि गृह में चाय, अल्पाहार भोजन आदि से प्राप्त होने वाली आय संस्था को दी जायगी।
6. अतिथि गृह का आरक्षण पूर्ववत जिला प्रशासन द्वारा किया जायगा तथा उससे होने वाली आय सरकारी खजाना में जमा की जायगी।
7. जिला प्रशासन की ओर से केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायगा जो संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।
8. विस्तृत जानकारी पूर्णियाँ जिला के वेबसाईट www.purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है अथवा किसी भी कार्यदिवस में जिला नजारत शाखा, पूर्णियाँ से प्राप्त किया जा सकता है।
9. निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ